

**PMGSY**

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
चम्पावत।

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, IRRIGATION DIVISION (P.W.D.), CHAMPAWAT
Phone – fax 05965-230148 E-Mail; eepmgsychampawat@gmail.com

पत्रांक681...../03 पी0एम0जी0एस0वाई0

दिनांक14.../06/2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :-

जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत टकनागूँठ से डांडामल्ला मोटर मार्ग लम्बाई (16.000 कि०मी०) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 9.14 हे० वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु अतिरिक्त एन०पी०वी० की धनराशि के सत्यापन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि 78 REC of Integrated Regional Office, Dehradun दिनांक 30.05.2023 के क्रम में तथा प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वनप्रभाग के पत्रांक संख्या 102/12-1, हल्द्वानी, दिनांक 11.07.2022 के क्रम में 34308.00 रु० की अतिरिक्त/पैनल एन०पी०वी० की धनराशि जमा की जानी है, जिसके क्रम में डिमांड नोट संलग्न कर प्रेषित है।

अतः उपरोक्तानुसार एन०पी०वी० की धनराशि का सत्यापन करने की कृपा करें ताकि ससमय एन०पी०वी० की धनराशि जमा की जा सके।

संलग्न :- डिमांड नोट।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता

सिंचाई खण्ड, (लो०नि०वि०) चम्पावत।

दिनांक/06/2023

पत्रांक/03 पी0एम0जी0एस0वाई0

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियन्ता, यू०आर०आर०डी०ए०, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता

सिंचाई खण्ड, (लो०नि०वि०) चम्पावत।



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।



तिकोनिया वन परिसर, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05946-220002, ई.मेल : dfohld@gmail.com

पत्रांक- 102 / 12-1, हल्द्वानी दिनांक- 11- जुलाई 2022

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
चम्पावत।

विषय:-

जनपद-चम्पावत में पी.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत टकनागूठ से डाण्डा मल्ला (लम्बाई 16.00 कि.मी.) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 9.14 हे० वन-भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक संख्या-RO-DDN/REC/I-2014/VOL-6/483 दिनांक- 04.07.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयगत प्रकरण में दिनांक 29 जून 2022 को विडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से REC की बैठक आहूत की गयी थी जिसके क्रम में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के सन्दर्भित पत्र द्वारा समरेखण के उल्लंघन के कारण N.P.V दण्ड निर्धारित हेतु निर्देश दिये गये हैं जिसके क्रम में बिन्दु सं० (3) व (4) में N.P.V निम्नानुसार निर्धारित की गयी है।

बिन्दु संख्या-3- सड़क निर्माण में निर्धारित समरेखण से हटकर सड़क कटिंग की गयी है जिसमें पैनल N.P.V ली जानी है जिस हेतु आगणन सीट संलग्न है।

बिन्दु संख्या-4- सड़क निर्माण में निर्धारित समरेखण से हटकर सड़क कटिंग की गयी है जिसमें पैनल N.P.V ली जानी है जिस हेतु आगणन सीट संलग्न है।

अतः विषयगत प्रकरण में बिन्दु सं० 3 व 4 हेतु क्रमशः रु० 3218.00 (तीन हजार दो सौ अठारह) मात्र एवं रु० 31090.00 (इकत्तीस हजार नब्बे रु) मात्र कुल धनराशि रु० 34308.00 (चौतीस हजार तीन सौ आठ) मात्र की धनराशि को कैम्पा मद में जमा करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(बाबू लाल)

प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

NECESSARY ACTION TAKEN FOR COMPLIANCE OF POINT NUMBER 4

In accordance to Point no. 4 of letter no. RO-DDN/REC/1-2014/VOL-6/483, dated 04/07/2022 of Govt. of India, Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Integrated regional office (Dehradun) penal NPV as per guidelines para 1.21(iii) shall be imposed on the area over which work has been already carried out (upto km 8.615) other than the approved alignment without the issuance of the working permission by competent authority.

Thorough inspection of the site has been done on dates 27/07/2021, 05/10/2021 & 07/07/2022. During inspections it is found that the approved alignment has been deviated between km 8.515 to 8.615 for the length of 99.50 meter and in the width of 6.00 meter.

Calculation for penal NPV as per guidelines para 1.21(iii) is as follows:-

(A) Area:

- Deviated area other than approved alignment before km 8.615
= $99.50 \text{ (length)} \times 6.00 \text{ (width)} = 597.00 \text{ m}^2$
- Area for which penalty has already been imposed in compliance of point number 3 = $0.0056 \text{ hectare} = 56 \text{ m}^2$
- Hence Deviated area = $597.00 - 56.00 = 541.00 \text{ m}^2 = 0.0541 \text{ hectare}$

(B) NPV rates:

- The new NPV rates w.e.f. 06/01/2022 for eco class V and very dense forest vide letter number 3874/12-1 nainital, dt 14/06/2022 of conservator of forest is Rs 1436670 per hectare.
- Penal NPV for 0.0541 hectare area = $1436670 \times 0.0541 = \text{Rs } 77,723.85$

(C) Penalty:

- Penalty [according to Para 1.21 (iii-a)] = $2 \times 77,723.85 = \text{Rs } 1,55,447.69$
- Penalty for 'PUBLIC UTILITY PROJECTS' [according to Para 1.21(iii-b)]
= $20\% \text{ of Rs } 1,55,447.69 = \text{Rs } 31,089.54 = \text{say Rs } 31,090.00$

(Thirty one thousand ninty rupees)


Divisional Forest Officer
Forest Division, Haldwani



NECESSARY ACTION TAKEN FOR COMPLIANCE OF POINT NUMBER 3

In accordance to Point no. 3 of letter no. RO-DDN/REC/1-2014/VOL-6/483, dated 04/07/2022 of Govt. of India, Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Integrated regional office (Dehradun) penal NPV as per guidelines para 1.21(iii) shall be imposed on the deviated area of 0.0056 hectare where the road cutting is done other than the proposed road alignment.

Calculation for penal NPV as per guidelines para 1.21(iii) is as follows:-

(A) NPV rates:

- The new NPV rates w.e.f. 06/01/2022 for eco class V and very dense forest vide letter number 3874/12-1 nainital, dt 14/06/2022 of conservator of forest is Rs 1436670 per hectare.
- Penal NPV for 0.0056 hectare area = $1436670 \times 0.0056 = \text{Rs } 8045.35$

(B) Penalty:

- Penalty [according to Para 1.21 (iii-a)] = $2 \times 8045.35 = \text{Rs } 16090.70$
- Penalty for 'PUBLIC UTILITY PROJECTS' [according to Para 1.21(iii-b)] = $20\% \text{ of Rs } 16090.70 = \text{Rs } 3218.14 = \text{say Rs } 3218.00$

(Three Thousand Two Hundred Eighteen Rupees)


Divisional Forest Officer
Forest Division, Haldwari